।। कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सांगानेर जयपुर।।

क्रमांकः–   ईमेल   दिनांक :–23.12.2020

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय
सगांनेर जयपुर।

विषय :–रिपोर्ट परिवाद द्वारा राज कुमार एवं कॉलोनीवासी को दफतर दाखिल करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन हैंकि दिनांक 07.11.2020 को प्रार्थी श्री राजकुमार एवं कॉलोनीवासी ने उपस्थित थाना होकर एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि हम सब मोहल्लें वाले श्याम विहार मोती विहार गोशाला के पीछे के रहने वाले है। यहां पर प्लाट न0 में सुमित्रा रवि मुकेश ज्योति रोज अवैध देशी शराब बेचते है। गांजा अफिम भी बेचते है। इन लोगो के पास रोज ग्राहक दारू लेने वाले व गांजा अफिम लेने वालें आते रहते है। रात 3–4 बजे तक भी उक्त सभी चीजे बेचते है व दारू पिने वाले रोज मोहल्ले में अशांति करते है। झगडा फसाद करतें है आज दिनांक 06.11.2020 को भी दारू खरिदने वालों व इन बेचने वालों के झगडा हो गया और और पत्थर बाजी हो गई जिससे बाहर खडी गाडियों के शिशे टूट गये। महोदय निवेदन है कि उक्त लोगो के पूर्व में भी बहुत सारे दारू बेचने के मुकदमें चल रहे है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें ये लोग अडोस पडोस में भी दारू छीपा कर रखते है। उक्त परिवाद की जांच एसआई शीला मीणा के जुम्मे की गयी।

दौराने जांच मन एसआई शीला मीणा ने थाना हाजा पर दर्ज परिवाद क्रमांक 797 दिनांक 07.11.2020 में जांच एवं बयानों के सबंध में परिवादी एक लगायत चार श्री राजकुमार श्रीमति खुशी श्रीमति माया जरिये फोन तलब किये जाने पर बताया कि लोगो का मेडीकल मुआयना करवाया जाना। अतः आप थाने पर पधारे जिस पर उपरोक्त लोगो ने बताया कि हम अभी अपने जरूरी कार्य में व्यस्त आईन्दा बायन देगे तथा मेडिकल करवा लेगे। हमारे कोई गम्भीर चोटे नही है। हम स्वय थाना पर उपस्थित हो जोयेगें।उक्त परिवाद के सबंध में आरोपीयान के घर जाकर चैक किया गया तो महिला सुमित्रा सांसी व मुकेश सांसी शराब बेचते पाये जाने पर थाना हाजा पर उक्त दोनो आरोपीयान के विरूद्ध मुकदमा न0 483/2020, 484/2020 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट दिनांक 08.11.2020 में दर्ज किया जाकर जैर तफतीश है। परिवाद हाजा 1 लगायत 4 के समस्त परिवादी एवं कॉलोनी वासी से परिवाद के सबंध में जांच बयान हेतू कहा जाने पर सभी ने एक राय होकर बताया कि हमारा आपस में किसी बात को लेकर कहा सूनी हुई थी कोई मारपीट नही हुई थी और ना ही किसी के कोई चोट आई थी आरोपी महिला सुमित्रा सांसी से कॉलोनी में शराब बेचने की बात को लेकर आपस में कहां सुनी हुई थी जिसके सबंध में आप कार्यवाही करे। और हम हमारे द्वारा दी गई रिपोर्ट पर हम कोई कार्यवाही नही चाहते है। आदि पर परिवादों के सबंध में परिवादी व कॉलोनी वासियों ने एक लिखित प्रार्थना पत्र द्वारा अपने द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कोई कानूनी कार्यवाही नही चाहने बाबत का पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल जांच परिवाद किया गया।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त परिवाद हाजा के सबंध में आरोपीयान के विरूद्ध मुकदमा न0 483/2020, 484/2020 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट दिनांक 08.11.2020 में दर्ज किया जाकर जैर तफतीश है। रिपोर्ट पर परिवादी व कॉलोनीवासी ने अवैध शराब बेचने की बात को लेकर आपस में कहां सुनी हुई थी एवं इस दौरान किसी के भी कोई चोट आना नही पाया गया है। मौके पर श्रीमान के हलका क्षेत्र में शांति कायम है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

थानाधिकारी
पुलिस थाना सांगानेर
जयपुर पूर्व।